

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03-11/सू.अधि./30-17/ 2033

रायपुर, दिनांक 11.05.17

प्रति,

राघवेन्द्र कुमार राठौर, कार्या. सहा. श्रेणी-03,
कार्या.-अति. मुख्य अभियंता (संचा संधा.) 2X500 मे.वा. म.ते.ता.वि.गृह,
जिला- जांजगीर चांपा छ.ग.।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

- संदर्भ:-**1. आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 12.04.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 30-17,
दिनांक 13.04.2017।
2. आपका अभिलेख शुल्क प्राप्ति दिनांक 11.05.2017।

--:000:--

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के माध्यम से चाही जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 04 पृष्ठों में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रु. 50/- मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार है:-

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)-एक
कार्यालय- मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष-0771-2574883

R. Su
11/5/17
(राजीव झा)

जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.- मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771-2574081

11/5/17

11/5/17

4

26

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)



क्र.03-11 / DGM-II / बी-13 / 3409

रायपुर, दिनांक 25-10-16

आदेश

छत्तीसगढ़ पॉवर स्टेट जनरेशन कंपनी के निम्नलिखित संयंत्रों/परियोजनाओं में अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों द्वारा नामांकित व्यक्ति जिन्हें उत्पादन कंपनी के विभिन्न पदों में प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों के लिये रोजगार प्रदान किया गया है, की परिविक्षा अवधि 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई जाती है :-

- (1) 2X500 मेवा मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, मड़वा तेन्दूभाठा।
- (2) 1X500 मेवा कोरबा पश्चिम ताप विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम।
- (3) 4X210 मेवा हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम।
- (4) 2X250 मेवा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व।

आदेशानुसार

Jabney
मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.के.म. रायपुर

क्र.03-11 / DGM-II / बी-13 / 3410


रायपुर, दिनांक 25-10-16

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक(उत्पादन/सिविल परियोजना/संचा.-संधा./वित्त), छ0रा0वि0उ0कं0म0, डीएसपीएम/एचटीपीएस/मड़वा ताप विद्युत परियोजना, कोरबा पूर्व/पश्चिम/मड़वा/रायपुर।
2. मुख्य अभियंता (उत्पादन/सिविल सुधार), छ0रा0वि0उ0कं0म0, केटीपीएस/रायपुर।
3. अति मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना/सुधार), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम।
4. अति मुख्य अभियंता (संचा-संधा-उत्पा), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
5. अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित रायपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, छ0रा0 ~~सूचना~~ उत्पादन कंपनी मर्यादित, डीएसपीएम/केटीपीएस/एचटीपीएस/मड़वा ताप विद्युत परियोजना, कोरबा पूर्व/पश्चिम/मड़वा/रायपुर।
8. आदेश/सीरियल फाईल।
छ.रा.वि.उ.के.म. रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)



क्र.03-11/DGM-II/2470

रायपुर, दिनांक 21.07.16

आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निम्नलिखित संयंत्रों /परियोजनाओं में अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों द्वारा नामांकित व्यक्ति जिन्हें उत्पादन कंपनी के विभिन्न पदों में प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों के लिये रोजगार प्रदान किया गया है, की परिविक्षा अवधि 30 सितंबर 2016 तक बढ़ाई जाती है :-

- (1) 2X500 गंवा मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, मड़वा तेन्दूभाठा।
- (2) 1X500 गंवा कोरबा पश्चिम ताप विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम।
- (3) 4X210 गंवा हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम।
- (4) 2X250 गंवा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व।

आदेशानुसार

(Signature)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.के.म. रायपुर

क्र.03-11/DGM-II/2471

रायपुर, दिनांक 21.07.16

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक(.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
2. मुख्य अभियंता (.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
3. अति मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना/सुधार), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम।
4. अति मुख्य अभियंता (संचा-संधा-उत्पा), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
5. अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित रायपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
8. आदेश/सीरियल फाईल।

सूचना का अधिकार अधि. 2005 के अंतर्गत
जागरूकता प्रवर्धन - कार्य. सु. अधि. (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.के.म. रायपुर छ.ग.

(2)

सी एस पी जी सी एल
C/PGCL

(A)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र.03-11/एफ-चार/DGM-II/194


रायपुर, दिनांक 19-01-2016

आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निम्नलिखित संयंत्रों /परियोजनाओं में अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों द्वारा नामांकित व्यक्ति जिन्हें उत्पादन कंपनी के विभिन्न पदों में प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों के लिये रोजगार प्रदान किया गया है, की परिविक्षा अवधि 30 जून 2016 तक बढ़ाई जाती है :-

- (1) 2X500 मेवा मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, मड़वा तेन्दूभाठा।
- (2) 1X500 मेवा कोरबा पश्चिम ताप विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम।
- (3) 4X210 मेवा हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम।
- (4) 2X250 मेवा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व।

आदेशानुसार


मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

क्र.03-11/एफ-चार/DGM-II/195

रायपुर, दिनांक 19-01-2016

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक(.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
2. मुख्य अभियंता (.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
3. अति मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना/सुधार), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम।
4. अति मुख्य अभियंता (संचा-संधा-उत्पा), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
5. अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित रायपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
8. आदेश/सीरियल फाईल।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
जानकारी प्रदान - कार्यालय, मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र.03-11/एफ-चार/DGM-II/1881


रायपुर, दिनांक 01-07-15

आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निम्नलिखित संयंत्रों/परियोजनाओं में अधिग्रहीत भूमि के भूमि स्वामियों द्वारा नामांकित व्यक्ति जिन्हें उत्पादन कंपनी के विभिन्न पदों में प्रारंभिक तौर पर दो वर्षों के लिये रोजगार प्रदान किया गया है, की परीक्षा अवधि 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ाई जाती है :-

- (1) 2X500 मेवा मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, मड़वा तेन्दूभाठा।
- (2) 1X500 मेवा कोरबा पश्चिम ताप विस्तार परियोजना, कोरबा पश्चिम।
- (3) 4X210 मेवा हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम।
- (4) 2X250 मेवा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व।

आदेशानुसार


मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

क्र.03-11/एफ-चार/DGM-II/1882

रायपुर, दिनांक 01-07-15

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक(.....O&M.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
2. मुख्य अभियंता (.....), छ0रा0वि0उ0कं0म0,
3. अति मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना/सुधार), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम।
4. अति मुख्य अभियंता (संचा-संधा-उत्पा), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
5. अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा/कोरबा पश्चिम/पूर्व।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित रायपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, छ0रा0 विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
8. आदेश/सीरियल फाईल।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, 2005 के अंतर्गत
रायपुर, छत्तीसगढ़
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

उप. महाप्रबंधक (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

41750-58-0

प्रति,

जनसूचना अधिकारी (मानव संसाधन)

छ.रा.वि.उत्पा.कं. मर्यादित डगनिया रायपुर

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्तगत जानकारी प्रदान करने बाबत।

महोदय,

विषयातर्गत निवेदन है कि भू-विस्थापित कार्यालय सहायक श्रेणी-03 की परिविक्षा अवधि ~~द्वि-कारणों से~~ बढ़ाई जा रही है उनकी सत्यापित प्रति।

अंतः आप से निवेदन है कि उक्त जानकारी अतिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :- मा० पो०-२००० आर्डर क्र. 42F187555- दिनांक-12/4/17

दिनांक 12/4/17

आवेदक



राघवेंद्र कुमार राठौर
कार्य. कार्या. सहा. श्रेणी -03
कार्या. अति. मुख्य अभियंता (संचा. संधा.)
2x500 मे.वा.म.ते.ता.वि.गृह
जिला -जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

JGM-I ✓
L.
12/4

RE-8
13/04/17